UPSH010037062026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1272/2026

1-वहोरन पुत्र जयपाल,
2-भँवर पाल पुत्र जयपाल,
निवासीगण ग्राम रैना, थाना तिलहर, जिला शाहजहाँपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ।
परिवाद संख्या-11360/2023,
धारा-452, 395, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0,
थाना-तिलहर, जिला-शाहजहॉपुर।

दिनांकः 27-05-2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण वहोरन एवं भँवरपाल की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र परिवाद संख्या-11360/2023, धारा-452, 395, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0, थाना-तिलहर, जिला-शाहजहॉपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के पैरोकार मुननपाल सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार यह आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29-04-2023 को सुबह गांव में ही प्रकाश, राजेन्द्र, धनपाल, जयपाल, सोरन, जनवेद, मोहित, भारत, बहोरन, राजीव एंव भँवरपाल एकराय होकर आये और परिवादी के खेत में लगे तार बाँसो को उखाड़कर फेंक दिया तथा परिवादी की मेड़ व पेड़ अपने खेत में मिला लिये। परिवादी जब खेत देखने गया तो सभी ने एकराय होकर जान से मारने की नियत से फायर किया। परिवादी जान बचाकर अपने घर में भागा जैसे ही दिनांक 29-04-2023 को समय 10.00 बजे घर पहुँचा तो तभी सभी एकराय होकर ललकारा और जान से मारने की नियत से फायर किया। परिवादी घर में घुसा गया तभी सभी ने उसके घर में घुसकर उसको मारा पीटा और उसके घर में रखे हुए 900/-रूपये सभी ने एकराय होकर लूट लिये। परिवादी ने घटना की सूचना थाने पर दी। थाने वालो ने राजनैतिक दबाव में दोनो पक्षों का धारा 151 दं0 प्र 0 सं0 में चालान कर दिया। उपरोक्त सभी दबंग भू-माफिया है और इन पर

Date: 27-05-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)

Digitally signed by Vishnu Kumar Sharma
Date: 2026.05.29 09:57:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दर्जनों मुकदमें पंजीकृत है तथा अपनी लाइसेंसी बन्दूक की दम पर समाज में भय व्याप्त करते है।

परिवादी द्वारा स्वयं को धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 एंव गवाहान को धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया है। न्यायालय द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 452,395,323,504,506 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वह निर्दोष है। रंजिशन झूँठा फॅसाया गया है। अभियुक्तगण परिवादी के पड़ोसी है। रजिशन झूठी लूट/डकैती में फँसाया गया है। परिवाद में परिवादी द्वारा वाद में घटना को सुबह 10.00 बजे बताया गया है। जबकि परिवादी की पत्नी रामवती पी0 डब्ल्यू0-1 व पुत्र विकास कुमार पी0 डब्ल्यू0-2 ने घटना रात्रि 10.00 बजे की बतायी गयी है। परिवाद में जिस प्रकार की घटना को होना बताया गया है उस प्रकार की कोई घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित नही की गयी है। सहअभियुक्त प्रकाश, धनपाल, जयपाल एवं मोहित की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण दिनांक 17-05-2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण/आवेदकगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी को मारपीट कर उसके घर में घुसकर 900/-रूपये लूट ले गये। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण/आवेदकगण पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी पर जान से मारने की नियत से फायर किये जाने, मारपीट कर उसके घर में घुसकर 900/-रूपये लूट लिये जाने का आक्षेप है। परिवाद में परिवादी द्वारा घटना सुबह 10.00 बजे की बतायी गयी है, जबकि परिवादी की ओर से धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 में परीक्षित कराये गये साक्षीगण रामवती पी0 डब्ल्यू0-1 व विकास कुमार पी0 डब्ल्यू0-2 ने घटना रात्रि 10.00 बजे की बतायी गयी है। दोनों ही साक्षी परिवादी की पत्नी व पुत्र है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में जान से मारने की नियत से फायर करना भी बताया गया है, परन्तु गवाहान द्वारा धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 में फायर करने का कोई उल्लेख नही किया है। सहअभियुक्त प्रकाश, धनपाल, जयपाल एवं मोहित की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण दिनांक 17–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एंव परिस्थितयों को

Date: 27-05-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)

दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदकगण/ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण/आवेदकगण वहोरन एवं भँवरपाल, जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1272/2026, परिवाद संख्या–11360/2023, धारा-452,395,323,504,506 भा0 दं0 सं0, थाना–तिलहर, जिला–शाहजहॉपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अंकन **पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एंव समान राशि के दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान परीक्षण वाद आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के समय,बयान के समय, साक्षी के उपस्थित आने तथा अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करेगे व न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी साक्षी को डरायेगे व धमकायेगें नही तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहते है तो उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त होता है तो उनका बन्धपत्र स्वतः जब्त माना जायेगा।

दिनांकः 27-05-2026

(विष्णु कुमार शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।
जे०ओ०कोड-यू०पी०-1890

Date: 27-05-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)